

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

शुद्धि-पत्र

पटना, दिनांक- 20/12/2018

संख्या-1/प्रशि०स्था० 08/18 श्र०सं०.....160...../विभागीय अधिसूचना सं० 155, दिनांक 18.12.18 द्वारा बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के कुछ पदाधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

2. उक्त अधिसूचना के क्रमांक 5 के स्तम्भ 3 में अंकित "श्रीमती नीलु कुमारी, उप प्राचार्य, औ० प्र० सं०, बक्सर" के बदले "श्रीमती नीलु कुमारी, प्रभारी प्राचार्य, महिला औ० प्र० सं०, बक्सर" पढ़ा जाय।

3. शेष यथावत् रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

HRD
20/12/18

(सूर्य कान्त मणि)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/प्रशि०स्था० 08/18 श्र०सं०160...../ पटना, दिनांक- 20/12/2018

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के सभी पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

HRD
20/12/18

सरकार के उप सचिव।